

**पंचायत आम निर्वाचन- 2021
अति महत्वपूर्ण**

संख्या-प0नि0 30-140/2021 2773

प्रेषक,

योगेन्द्र राम,
सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
नवादा।



**राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR**

पटना, दिनांक- 26.7.21

विषय :- पंचायत आम निर्वाचन, 2021 सहायक मतदान केन्द्रों पर आयोग का अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-1535/पं0, दिनांक-20.07.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से प्राप्त संशोधित मतदान केन्द्र के गठन के प्रस्ताव की जाँच के पश्चात् बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-26 के अन्तर्गत स्तंभ-5 में अंकित मतदान केन्द्रों की संख्या पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन संसूचित किया जाता है।

क्र0 सं0	प्रखंड का नाम	संशोधित मतदान केन्द्रों की संख्या	सहायक मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	वारसलीगंज	1	0	1	
	कुल	1	0	1	

2. संदर्भित पत्र के अनुसार वारसलीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत ठेरा के वार्ड सं0-2 पूर्व से अनुमोदित म0के0सं0-168, प्राथमिक विद्यालय चिरैया (बाँया भाग) का मतदान स्थल नगर परिषद वारसलीगंज के सीमा में चला गया। म0के0सं0-168, सामुदायिक भवन, बालाचक्र मतदान केन्द्र संशोधित समझा जाए।

3. मतदान केन्द्रों की सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-27 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नियम-8 के उप नियम (1) में विहित रीति से प्रकाशित की जाए तथा उसकी सूचना आयोग को दी जाए।

विश्वासभाजन


सचिव।

ज्ञापक-...../-

पटना, दिनांक-...../-

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि संशोधित मतदान केन्द्र की सूची को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करे।


सचिव 26/7/21

प्रपत्र-2

आयोग के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची।

जिला- नवादा		प्रखण्ड- वारिसलीगंज								ग्राम पंचायत- ठेरा		
क्र.सं.	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र की संख्या	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थिति	संशोधित हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थिति	संशोधन का कारण/औचित्य	मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रानि०२०२० सं०)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की सं० (.....सं०..... तक)	भवन सरकारी/अर्द्ध सरकारी है अथवा नहीं	भवन में कुल कमरों की संख्या	मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए मतदाता द्वारा तय की जाने वाले अस्थितान्तरी	प्रवेश एवं निकास की अलग-अलग व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्भर होकर आ जा सकते हैं अथवा नहीं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	168	ग्राम वि० चिरैया बायाँ भाग	सामुदायिक भवन बालाचक	नगर परिषद वारिसलीगंज के गठन के कारण मतदान केन्द्र संख्या 168 प्राथमिक विद्यालय चिरैया बायाँ भाग अब नगर परिषद वारिसलीगंज के सीमांकन के भीतर चले गये हैं। इस वृथ के 646 मतदाता ग्राम पंचायत ठेरा के बालाचक गाँव के हैं। इसलिए नगर परिषद वारिसलीगंज के नवगठन के बाद ग्राम पंचायत ठेरा के वार्ड न० 02 टोला बालाचक के लिए बालाचक में ही मतदान केन्द्र बनाये जाने की आवश्यकता है।	बालाचक 02	01-77 80-81 84,90 91-93 97-100 102-118 120-153 163,165 169-170 172-189 191-198 200-368 370-551 553-678 कुल- 646 मतदाता	सरकारी	1	0 - 0.300 मीटर	है	हाँ	नगर परिषद वारिसलीगंज के गठन के कारण मतदान केन्द्र संख्या 168 प्राथमिक विद्यालय चिरैया बायाँ भाग अब नगर परिषद वारिसलीगंज के सीमांकन के भीतर चले गये हैं। इस वृथ के 646 मतदाता ग्राम पंचायत ठेरा के बालाचक गाँव के हैं। इसलिए नगर परिषद वारिसलीगंज के नवगठन के बाद ग्राम पंचायत ठेरा के वार्ड न० 02 टोला बालाचक के लिए बालाचक में ही मतदान केन्द्र बनाये जाने की आवश्यकता है।

अनुमोदित
साचिव
मध्य निर्वाचन आयोग
बिहार पटना

जिला पदाधिकारी, नवादा
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)